



ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। उन्होंने देशनोक के पलाना गांव की रोही में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया।

# अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी-मोदी

## प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बात सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की होगी

बीकानेर, 22 मई (कास)। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। जिला मुख्यालय से 22 किमी. दूर देशनोक के पलाना गांव की रोही में हुई विशाल जनसभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारी जवाब दिया जायेगा। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दो दृक संदेश देते हुए कहा कि अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकायेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पुछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगांम में चली थीं, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आशीर्वाद से और देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे

■ जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार द्वारा जारी नई औद्योगिक नीतियों का लाभ बीकानेर को भी मिलेगा। बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्ले की मिठास विश्व भर में पहचान बनायेगी।

■ पलाना की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले बालाकोट के बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में हुई थी। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पहली सभा यहाँ हो रही है। राजस्थान की वीरभूमि के तप से ऐसा संयोग बना है।

हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म रहता है और अब तो मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा, न ही बातचीत होगी। यदि बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को

वापस लेने की। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने अगर आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई-पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। मोदी ने कहा कि जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यहां से कुछ ही दूर सीमापार पाकिस्तान का रहीमयार

खान एयरबेस अगले कई दिनों के लिए बंद हो चुका है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस-नहस कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। राजस्थान की रीफाइनी का काम भी अंतिम चरण में है। अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा जारी नई औद्योगिक नीतियों का लाभ बीकानेर को भी मिलेगा। बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास विश्वभर में अपनी पहचान और बढ़ाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पांच साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही हुई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# एक बार फिर विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रम्प के मध्यस्थता के दावे को केवल कल्पना बताया

## ट्रम्प की नाराज़गी सहने के लिये भारत को तैयार रहना पड़ेगा

-अंजन रॉय-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 22 मई। "अमेरिका केवल अमेरिका तक ही सीमित था।" विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता में अमेरिका की मध्यस्थता पर पूछे गए सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की।

10 मई को युद्धविराम घोषित होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक फोन कॉल के जरिए दोनों देशों को व्यापार का प्रस्ताव देकर यह शांति स्थापित करवाई थी।

जो कोई भी भारत और पाकिस्तान के बीच की संवेदनशीलता और विवाद की पुष्टभूमि से जरा भी परिचित है, वह जानता है कि ट्रंप का यह दावा कितना अतार्किक और हास्यास्पद है। यही कारण है कि भारत, विशेष रूप से विदेश मंत्री एस. जयशंकर, लगातार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि युद्धविराम केवल दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति के डील मेकर का क्रेडिट लेने की कोशिश को खारिज करने के निस्संदेह अलग नतीजे होंगे। इससे

■ ट्रम्प के दंभ भरे दावों को अब विश्व ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा, चाहे एक ही दिन में यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने की घोषणा हो, या रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी हो, या यमन के हूती को अपनी भारी नौ सेना से डराने का प्रयास हो, या ईरान के अयतुल्ला खमेनी को चेतावनी देने की कोशिश हो।

■ अतः बार-बार भारत-पाक के बीच अपनी मध्यस्थता से सीज़फायर कराने का दावा, ट्रम्प की मजबूरी बन गया है।

■ पर, भारत के विदेश मंत्री द्वारा ट्रम्प को इस "सीज़फायर" के लिए कोई भी श्रेय नहीं देना, ट्रम्प प्रशासन के लिए पचाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस खीज की गाज, भारत पर गिर सकती है।

पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि यदि वे चुने जाते हैं तो यूक्रेन युद्ध को एक दिन में समाप्त कर सकते हैं-जो पूरी तरह से एक कपोल कल्पना साबित हुई। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में असफल रहने के बावजूद, ट्रंप लगातार खुद को रूस-यूक्रेन शांति प्रक्रिया का नायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार-बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे ट्रंप को ज्यादा तवज्जो नहीं देते।

ट्रंप द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने की बार-बार की धमकियों के बावजूद, पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों को और तेज कर दिया, यहां तक कि नागरिकों को भी निशाना बनाया, ठीक उसी समय, जब अमेरिका खुद को सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस सबके बीच, ट्रंप की सबसे बड़ी विफलता तब सामने आई, जब उन्होंने

दावा किया कि यूक्रेन युद्ध केवल तब खत्म होगा, जब वे स्वयं पुतिन से बात करेंगे। उनके कैबिनेट सदस्य बार-बार उनकी "शानदार शक्तिशाली" की तारीफ करते रहे, उनका मत था कि ट्रंप का करिश्माई व्यक्तिगत पुतिन को शांति की ओर ले जाएगा।

हालांकि, पुतिन से दो घंटे लंबी टेलीफोन बातचीत के बाद भी शांति की कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखी। उल्टा, रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए, जिससे यूक्रेनी जनता को और अधिक नुकसान उठाना पड़ा।

ट्रंप की इन लगातार कूटनीतिक विफलताओं के बीच, अमेरिका इतना व्यग्र है कि "सफलता" के मामूली से संकेत तक को लपक लेना चाहता है। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की सबसे शक्तिशाली नौसेना पर हमला किया, जिससे अमेरिकी प्रतिष्ठा को गहरा अघात पहुंचा। इसके बाद, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने भी अमेरिका और ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ईरान पर सीधा हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## विवाह के तीन माह बाद ही आत्महत्या, अभियुक्त पति को आजीवन कारावास

जयपुर, 22 मई। महिला उल्पीडन मामलों की विशेष अदालत ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाह के तीन माह बाद ही विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में उसके पति विकास शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन

■ मृतका के भाई ने बयान दिया कि उसकी बहन ने बताया था कि उसका पति व ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट करते हैं।

अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि एक लड़की के लिए उसका विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण पल होता है, जहां वह अपने पिता के संरक्षण से दूर सुंदर भविष्य का सपना देखते हुए अपने पति के साथ विदा होती है। उस समय लड़की के मन में यह विश्वास होता है कि उसका पति, उसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# सतपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल की सीबीआई ने

## सतपाल मलिक, जम्मू-कश्मीर के गवर्नर थे तथा उस दौरान उन पर किरू में हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट का ठेका देने का आरोप लगाया गया था

- डॉ. सतीश मिश्रा -  
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 मई। प्रतिशोध का मामला प्रतीत होने वाली एक कार्यवाही के अन्तर्गत, सी बी आई ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एवं पांच अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। यह प्रकरण कोरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ रु. के 'सिविल वर्क्स' का ठेका दिये जाने में हुए कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

अधिकारियों ने आज कहा कि एंजेंसी ने 3 साल की जांच पड़ताल के बाद, अपने निष्कर्ष एक विशेष अदालत में पेश कर दिये हैं। इस प्रकरण मलिक एवं पांच अन्य लोग आरोपी बनाये गये हैं।

आज 'एक्स' पर डाली गई पोस्ट में मलिक ने कहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं तथा किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उनके

■ सीबीआई ने इस आरोप की तीन साल तफतीश करके यह चार्जशीट दाखिल की है।

■ सतपाल मलिक ने इस घटनाक्रम के बारे में कहा कि वे किसान पुत्र हैं तथा सरकार उन्हें डराना व दबाना चाहती है, पर, वे झुकेंगे नहीं।

■ सतपाल मलिक ने एक्स पर यह भी कहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं तथा अस्वस्थ हैं। अतः उन लोगों से बात नहीं कर पा रहे, जो उन्हें फोन कर रहे हैं।

पास बहुत से शुभचिन्तकों के कॉल आ रहे हैं, लेकिन वे बात नहीं कर पा रहे हैं। सी बी आई गत वर्ष फरवरी में इस केस के संदर्भ में मलिक एवं अन्य के परिसरों की तलाशी ली थी।

सी बी आई ने 2022 में एफ आई आर दर्ज करने के बाद, एक बयान में कहा था कि यह केस 2019 में कोरू हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर (एच ई पी) प्रोजेक्ट के सिविल वर्क्स का 2200

करोड़ रु. का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिये जाने में की गई कथित गड़बड़ी से संबंधित है।

मलिक, जो 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, ने दावा किया था कि उन्हें दो फाइलों पर स्वीकृति देने के लिए 300 करोड़ रु. की रिश्तत की पेशकश की गई थी। इनमें से एक फाइल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने 50 हजार का हर्जाना लगाया

जयपुर, 22 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गलत तथ्य बताकर याचिका दायर करने को गंभीर माना है। इसके साथ ही, अदालत ने आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। जस्टिस समीर जैन की

■ अदालत ने पुरुषोत्तम दाधीच की पेपर लीक मामले में दायर अपराधिक याचिका खारिज की।

एकलपीठ ने यह आदेश पुरुषोत्तम दाधीच की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि उस पर अपनी प्रेमिका के लिए पन्द्रह लाख रुपए में एसआई भर्ती का प्रश्न पत्र खरीदने का आरोप है। मामले में वह निचली अदालत में संरेख करने भी गया था, लेकिन अदालत ने उसे अपनी कस्टडी में नहीं लिया। मामले में दर्ज एफआईआर में भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा

जयपुर, 22 मई। पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विजय वर्मा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने

■ अभियुक्त ने दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था।

16 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ जबर्न दुष्कर्म कर उसकी अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह गंभीर अपराध है और ऐसे अभियुक्त के साथ कोर्ट किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकती।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बनीपार्क पुलिस थाने में 22 जून 2022 को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# सात प्रतिनिधिमंडल, जिनमें 32 प्रमुख राजनीतिक नेता शामिल हैं, पाकिस्तान की आतंकवादी हमलों में भूमिका को समझाने, विश्व यात्रा पर निकले

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 22 मई। एक अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाक्रम में, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के 32 प्रमुख नेताओं के सात प्रतिनिधिमंडलों ने लगभग तीन दर्जन देशों की कूटनीतिक यात्राओं की शुरुआत की है। इन सभी का एक ही उद्देश्य है: भारतीय भूमि पर लंबे समय से चल रही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की नीति के विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करना, जिसके कारण निर्दोष पर्यटकों और नागरिकों की जानें गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में यह पहली बार है जब इतने व्यापक स्तर पर राजनीतिक सहयोग नजर आया है, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्षी दलों के साथ एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाया है।

दुर्लभ एकता के इस प्रदर्शन के बावजूद भी इस पहल ने देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के चयन में संबंधित दलों से औपचारिक सलाह-मशविरा नहीं किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद को कथित तौर पर पार्टी की औपचारिक सहमति के बिना शामिल किया गया, क्रिकेटर से राजनेता बने तुषमूल सांसद युसुफ पठान के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इसने दलों के भीतर अंदरूनी कलह को जन्म दिया है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हरि देसाई, जो प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा

## ये प्रतिनिधिमंडल लगभग तीन दर्जन देशों का दौरा करेंगे, पाकिस्तान की भूमिका के प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे

■ पर, एक प्रकार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मोदी सरकार की सराहनीय सफलता का मुँह में पूरा स्वाद आता उससे पहले कुछ किरकिरी आ गई, विपक्ष की कुछ पार्टियों की इस शिकायत से कि उनसे पूछा नहीं गया, उनके नेताओं को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने से पहले।

■ इस आंतरिक विवाद का असर देश के कई राज्यों पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में "महायुति" गठबंधन में भी उथल-पुथल हो सकती है। शरद पवार व उनके भतीजे अजित पवार के दोनों धड़े अब एक होने के प्रयास में लगभग सफल हो गये हैं तथा देवेन्द्र फड़नवीस की सरकार को इससे मजबूती मिलेगी।

■ प्रतिनिधिमंडल भेजने की इस नीति से घटनाओं की एक शृंखला शुरू हो गई है, जिसका असर भारत के राजनीतिक घटनाक्रम में काफी समय तक प्रभावी रहेगा।

प्रचारक से लेकर अब तक की राजनीतिक यात्रा पर लंबे समय से नजर रखते आए हैं, ने इस कदम की

आलोचना की। उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एकजुट चेहरा दिखाना चाहिए,

प्रधानमंत्री मोदी की यह रणनीति पार्टियों के भीतर आपसी कलह को जन्म दे रही है। एकता के नाम पर इस तरह का



## विचार बिन्दु

जिसने निश्चय कर लिया, उसके लिए बस करना बाकी रह जाता है। –इटैलियन कहावत

# राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न राय के लिये भेजे हैं, जनता उत्सुक है, सुप्रीम कोर्ट की राय जानने को

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 8 अप्रैल, 2025 में जो तमिलनाडु बनाम राज्यपाल शीर्षक के केस में दिया था, जिसमें यह माना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी विधेयक को अपने पास अनिर्णित रखने का अधिकार एक सीमा तक होना चाहिये और न्यायालय ने तीन माह की सीमा निर्धारित की। इस निर्णय की वैधता पर उपराष्ट्रपति धनखड ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि 'हमने इस दिन की कल्पना नहीं की थी कि राष्ट्रपति को तयशुदा समय में फैसला देने को कहा जावेगा।' अब राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न भेजे हैं और कोर्ट की सलाह मांगी है। इनमें एक प्रश्न उपरोक्त विषय के बाबत भी है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत जानना चाहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 200 के तहत 3 महीने की समय अवधि तय कर सकते हैं, जबकि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीया राष्ट्रपति ने उक्त फैसले को संवैधानिक मूल्यों, संविधान की संरचना और व्यवस्थाओं के विरुद्ध माना है, इसे संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण भी माना है।

इस पर विचार करने के हेतु हमें संविधान व अनुच्छेद 143 को समझना होगा, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 200 व 201 की व्याख्या करनी होगी। समय सीमा नहीं है, फिर भी क्या राज्यपालों व राष्ट्रपति के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या वे अपने पूर्ववर्ती फैसल पर पुनः विचार कर निर्णय दे सकते हैं, वह भी अनुच्छेद 143 के आधार पर।

राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत 14 निम्नलिखित प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है:–

1. अनुच्छेद 200के तहत राज्यपाल के पास विधेयक आता है तो क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं?
2. क्या राज्यपाल कैबिनेट की सलाह और मदद के लिए बाध्य है?
3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है?
4. क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा की पूरी तरह रोक सकता है?
5. संविधान में राज्यपाल के लिए समय सीमा तय नहीं है। क्या कोर्ट इसे तय कर सकता है?
6. क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है?
7. क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है?
8. क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है?
9. क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले अदालत सुनवाई कर सकती है?
10. क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है।
11. क्या राज्य विधानसभा में पारित कानून, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को सबीकृत के बिना लागू किया जा सकता है?
12. क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों को भेजना अनिवार्य है?
13. क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश/आदेश दे सकता है, जो संविधान या वर्तमान कानून से मेल न खाता हो?
14. क्या केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है?

हमारा संविधान कई विशिष्टताओं से भरा हुआ है। संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने 'हमारा संविधान' नामक पुस्तक में जो विशेषताओं का उल्लेख किया है वह वे अद्भुत हैं और निम्नलिखित हैं:–

“भारत का संविधान एक सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है। वह अनेक दृष्टियों से अनूठा है। इसे किसी खास सांघे–ढाँचे में या मॉडल में फिट नहीं किया जा सकता। यह अनन्य तथा नन्य, परिसंघीय तथा एकात्मक और अध्यक्षीय तथा संसदीय रूपों का मिश्रण है इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर व्यक्तिवों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता के सामाजिक, आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। इसके अलावा यह संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्तों के बीच मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है। हमारे संविधान में अनेक संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया है और जीवित रहा। यह बात स्वयंमेव उसकी सुस्पष्टता, सक्रियता और सर्ववृद्धि की संभाव्यता का प्रमाण है।”

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। जहां कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने वाला बताकर संसद के अधिकार से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित कर सकता है। संसद कतिपय प्रतिबन्धों के रहते हुये संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। अब तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं जो दर्शाता है कि संविधान विकास की गति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट के नये चीफ जस्टिस बी आर गवई ने उद्घोषणा की है कि लोकतंत्र के तीनों स्तम्भ अर्थात् न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सब समान हैं, अपने कार्य में, अपने–2 अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र हैं।

**मेरी विनम्र राय में ऐसा प्रतीत होता है सुप्रीम कोर्ट यह उत्तर दे सकता है कि उठाये गये प्रश्नों की प्रकृति ऐसी है और कोर्ट संतुष्ट है कि राय देना नहीं आवश्यक है। हम संविधान की दो महाशक्तियां हैं। हमारा धर्म व कर्म संविधान की रक्षा का है। हम मिलकर देश के हित, विकास व उन्नति के लिये गरिमा के साथ अपने धर्म की पालना करते रहेंगे।**

संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम

न्यायालय के परामर्श की अधिकारिता प्रदान करता है। सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय राष्ट्रपति मांग सकता है यदि उसके विषय में उसका विचार हो कि ऐसी राय मानना समीचीन है। यह राय केवल सलाह के रूप में होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिये अपनी राय देना बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने Special Reference No.1/1964 में यह मत अभिव्यक्त किया है। Re the Special Courts Bill, 1978 में कोर्ट ने ईंगित किया है कि यदि कोर्ट इन्कार करे तो उसके कारण देना आवश्यक है। अयोध्या बाबरी मस्जिद के केस रैफरेस संख्या 1/1993 को न्यायालय ने रेफरेन्स को बिना उत्तर दिये लौटा दिया था। अहमदाबाद सेन्ट्रजेवियर कॉलेज सोसाइटी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के केस में (1974)एससीसी 717) माना है कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई ऑपिनियन बाध्यकारी नहीं है। हाँ, यह वजन रखती है; किन्तु यह भी सच है कि जस्टिस बाबू जी चन्द्रचूड ने यह विचार अभिव्यक्त किये थे कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सलाह सभी कोर्ट्स के लिये बाध्यकारी होना चाहिये।

कावेरी विवाद के मामले में (Special Reference No. 1 of 1998) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेफरेन्स की शक्ति को अपीलव्य शक्ति नहीं माना जा सकता।

कावेरी रेफरेन्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि राष्ट्रपति पूर्ववर्ती निर्णित किये हुये मामले में रेफरेन्स नहीं कर सकते। क्योंकि जब निर्णय दिया है तो फिर शक की कोई संभावना नहीं रहती। 2ब् रेफरेन्स ऑफ 2012 में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इसी विषय पर कोई निर्णय है तो पुनः कोई कार्यवाही नहीं हो सकती (Central for Public Interest Litigatin vs UOI, 2012)

उपरोक्त कुछ मामले, जिनका उल्लेख किया है विषय को समझने व निर्णित करने में सहायक हो सकते हैं। अनुच्छेद 137 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने निर्णयों और आदेशों पर पुनर्विचार कर सके। अनुच्छेद 140 के तहत संसद विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कोई भी बात पूरे देश के (सभी न्यायालयों पर लागू है)। अनुच्छेद 141 कहता है कि उच्चतम न्यायलय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। किन्तु यह भी सच है कि क्या कोई बात कहने मात्र से, उसे कानून माना जा सकता है। इसका उत्तर 'ना' में दिया है, क्योंकि तर्क के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि कोई कानून घोषित हुआ है।

संसद जब विधेयक (एक्ट) बनाती है तो उसमें प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति की एसेन्ट प्राप्त करे और यह घोषित करे कि वह जनता पर कब लागू होगा। विधेयक (अधिनियम), गजट विज्ञप्ति द्वारा निर्देशित तारीख से लागू होता है। ऐसा भी देखा गया है कि संसद ने कानून तो पारित कर दिया, किन्तु लागू करने की विज्ञप्ति ही जारी नहीं की। Industrial Disputes Act 1947 में एक संशोधन 1982 में हुआ, जिससे Industry की परिभाषा में परिवर्तन किया गया; किन्तु संशोधन एक्ट के लागू होने की तारीख आज तक घोषित नहीं की। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां सरकार कानून बना देती है, किन्तु वह लागू नहीं करती। कानून लागू करने के हेतु हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की गई, किन्तु उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लागू करने की प्रक्रिया को एक्जीक्यूटिव आदेश न मानकर विधायिकी प्रक्रिया माना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के प्रकरण में राज्यपाल को विधेयकों को लम्बित रखने को असंवैधानिक करार दिया है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि केरल, तेलंगाना व पंजाब राज्यों में वहां के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लम्बित रखने से राज्य सरकार के कामों में बाधा पैदा हो रही है।

किसी विधेयक को लम्बित रखने की सीमा निर्धारित करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को सरकार ने चुनौती दी है। राष्ट्रपति ने अनुव्देद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है तथा यह भी बहस का ज़ा रही है कि लोकतांत्रिक सरकारों पर किसी प्रकार का बन्धन जर्नाहित के विरुद्ध है, क्योंकि सरकार जनता की सरकार है।

राष्ट्रपति ने प्रश्न उठाकर सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत राय मांगी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिये किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये समय सीमा तय कर सकता जबकि संविधान में इसकी व्यवस्था ही नहीं है? (पूछे गये 14 प्रश्नों का यह सार है)। एक दृष्टिकोण ऊपर अभिव्यक्त किया जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश असंवैधानिक है। दूसरा दृष्टिकोण यदि हम अनेकान्त भाव से विचार करें तो यह हो सकता है कि अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय करने के हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा किया जा सकता है, यदि उक्त अनुच्छेद की परिस्थितियां विद्यमान हों। सके अतिरिक्त अनुच्छेद 141 भी यह निर्देश देता है कि सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी घोषणा कानून है।

अब उपरोक्त 14 प्रश्न माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं। कानून स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिये बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 137 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार का अधिकार है। मेरी विनम्र राय में ऐसा प्रतीत होता है सुप्रीम कोर्ट यह उत्तर दे सकता है कि उठाये गये प्रश्नों की प्रकृति ऐसी है और कोर्ट संतुष्ट है कि राय देना नहीं आवश्यक है। हम संविधान की दो महाशक्तियां हैं। हमारा धर्म व कर्म संविधान की रक्षा का है। हम मिलकर देश के हित, विकास व उन्नति के लिये गरिमा के साथ अपने धर्म की पालना करते रहेंगे।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द्र जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



सुनील दत्त गोयल

कश्मीर घाटी की स्थिरता और दीर्घकालिक शांति के लिए सबसे बड़ा प्रश्न केवल सुरक्षा या आर्थिक विकास का नहीं है – बल्कि वहां की जनसांख्यिकीय संरचना (अर्द्धजन्म फैल्ले) का है। जब तक घाटी में जनसंख्या का सामंजस्य नहीं स्थापित किया जाता, तब तक किसी भी योजना या नीति की सफलता अधूरी ही मानी जाएगी। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, वह भारत के स्वतंत्रता के पश्चात सबसे भीषण सांप्रदायिक नरसंहारों में से एक था।

मस्जिदों से खुलेआम धमकियाँ दी गईं, गैर मुस्लिम लोगों के घरों पर हमले हुए, बहन-बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनका सरेंआम कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया,

लूटपाट की गईं, उनको जमीन जायदाद और अपने घरों से बेदखल किया गया और इतना वीभत्स नरसंहार हुआ कि आज उसकी कल्पना मात्र से भी दिल कांप उठता है और पूरा का पूरा समुदाय अपनी ही ज़मीन से दर-ब-दर कर दिया गया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगे उन अस्थायी कैपों से लेकर आज भी विस्थापन का दर्द झेलते परिवारों तक – यह घाव आज भी हरा है। द कश्मीर फाइल पिक्चर में इसके अंश लोगों ने देखे हैं और वह उससे कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म में जो अंश दिखाए गए उससे कई गुना अधिक उनकी भयानकता थी।

घाटी में पहले कश्मीरी पंडितों, सिखों और अन्य गैर-मुस्लिम समुदायों की उल्लेखनीय उपस्थिति और उनका बौद्धिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक योगदान रहा है। लेकिन कट्टरपंथी सोच और अलगाववादी मानसिकता ने वहां एकपक्षीय धार्मिक पहचान को जबरन स्थापित करने की कोशिश की – और काफी हद तक सफल भी हुए।

**जनसंख्या का संतुलन क्यों जरूरी है?**

कश्मीर घाटी की एकांगी

जनसंख्या संरचना केवल सामाजिक

असंतुलन का कारण नहीं है, बल्कि यह

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी दीर्घकालिक

खतरा है। जब घाटी में स्थानीय समर्थन

के बल पर विदेशी आतंकवादी शरण पाते हैं, जब ओवर टाउंड वर्कर आतंकियों को आश्रय एवं सूचनाएं भी देते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या केवल सीमा पार से नहीं, भीतर से भी है। कश्मीर में एक वार् एसा है जो आतंकवादियों का खुला समर्थन करता है, और दूसरा वर्ग है जो व्यापार के लिए मीठी-मीठी बातें करता है, शांति के नाम पर मोमबत्तियां जलाकर जुलूस निकालता है। लेकिन यह उनकी दोहरी नीति है – आतंकवाद और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जो स्थानीय व्यापारी सच में शांति और ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसे यह बताना होगा कि कौन लोग आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, ताकि उनकी पहचान की जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। अगर वह सच में ईमानदार है, तो उन्हें अपने आसपास की सच्चाई सरकार को बतानी होगी। एक ओर मोमबत्तियां जलाकर शांति की बातें होती हैं, तो दूसरी ओर उसी मोहल्ले से आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मदद मिलती है। ऐसे में अगर कोई यह कहे कि घाटी में आतंकवाद और व्यापार साथ-साथ चल सकते हैं, तो यह केवल एक राजनीतिक भ्रम होगा।

**समाधान क्या है?**

जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक मात्र

विकल्प नहीं है, लेकिन यह सबसे

निर्णायक विकल्प जरूर है।

सरकार को चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और अन्य राज्यों के युवाओं, अगिन वीरों, पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड अधिकारियों, ऐसे लोगों और व्यापारियों को जो अपने व्यापार का विस्तार कश्मीर में करना चाहते हैं तथा राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत नागरिकों को घाटी में पुनर्वासित करने की योजना तैयार करें। उन्हें:–

भूमि, आवास और रोजगार व बैंकों से सुविधाजनक कर्ज की सुविधाएं दी जाएं,

वहां सम्मानजनक जीवन यापन की गारंटी हो,

और एक वर्ष की अनिवार्य सैन्य

प्रशिक्षण देकर उन्हें सुरक्षा में भी

सहभागी बनाया जाए।

यह रणनीति घाटी में स्थायी शांति और विकास के लिए आधार तैयार

करेगी।

**क्या यह व्यावहारिक है?**

बिल्कुल। धारा 370 के हटने के

बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार

भारतीय कानून और नीतियों को समान

रूप से लागू करने का अवसर मिला है।

निवेश बढ़ रहा है, नौकरियाँ पैदा हो रही हैं – लेकिन अगर इस बदलाव का लाभ

केवल एक सीमित समुदाय तक ही रहे,

तो ना तो यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के

हित में होगा और ना ही वहां के व्यापार

और उद्योग जगत के सर्वांगीण विकास

के लिए उचित होगा। क्योंकि सरकार जितना बड़ा विकास कश्मीर घाटी के लिए करना चाहती है उसके लिए उतने ही संसाधनों की और मानव श्रम की और मानवीय लोगों की जरूरत रहेगी और उसके लिए बाहर के राज्यों के लोगों को वहां विस्थापित करना आवश्यक है जो कि वहां के स्थानीय लोगों के हित में भी रहेगा और व्यापार उद्योग जगत के लोगों के भी हित में रहेगा। कश्मीर की वास्तविक ‘विकास गाथा’ तब लिखी जाएगी, जब वहां का जनसंख्यिकीय संतुलन भारत के अन्य राज्यों की तरह बहुलतावादी और समावेशी होगा। यह न केवल विस्थापितों के साथ ऐतिहासिक न्याय होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी, सुरक्षित और समरस भारत की नींव भी होगी। सरकार को अब संकोच नहीं, दृष्टिकोण और निर्णय क्षमता दिखाने की जरूरत है। कश्मीर में अगर स्थायी समाधान चाहिए, तो डेमोग्राफिक चेंज ही वो निर्णायक चाबी है, जो दरवाजा खोल सकती है – शांति और समरसता का।

धन्यवाद,

–सुनील दत्त गोयल,

महानिदेशक, इम्पीरियल

चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टांक

एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर,

राजस्थान

# रोजगार के बेहतर विकल्प माध्यमिक शिक्षा के साथ हो



राजेन्द्र जोशी

शिक्षा केवल अंकों का खेल नहीं है। अंकों का जोड़-तोड़ शिक्षार्थी को किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। शिक्षा के जरिए स्कूलों में काम का वातावरण और संस्कृतियों में परिवर्तन करने का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा , शिक्षकों के साथ उनकी क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर बढ़ाना होगा। तभी वह अपना प्रभावों ढंग से काम करते हुए शिक्षक, छात्रों और अभिभावकों को काकर्षक कर सकेंगे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उच्चशिक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षा के मध्य में उपयोगी वोकेशनल कोर्स संचालित किये जाए ,जिससे छात्रों को काम करने में सक्षम बनाया जा सके। जरूरत प्रैक्टिकल स्किल और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने की है, बच्चों का मन व्यावसायिक शिक्षा की तरफ एकदम से नहीं जा

सकता। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों का कोई पारिवारिक परिवेश व्यवसायिक नहीं होता। एक बड़ा लक्ष्य सुनिश्चित करने से पहले ऐसे शिक्षक तैयार किए जाने चाहिए जो व्यवसायिक शिक्षा के लिए खुद पूरी तरह प्रशिक्षित हों। अनेक बार हम यह मान लेते हैं की शिक्षक हर कार्य में पराजित होगा। शिक्षक अपने विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन करियर प्रबंधन में उसको प्रशिक्षित करने की जरूरत सदैव बना रहनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा के दौरान

शिक्षार्थी को विद्यार्थी परामर्श केंद्र के

माध्यम से उसकी इच्छा और रुचि

टटोलनी होगी। शिक्षार्थी माध्यमिक

शिक्षा तक यह समझ ही नहीं पाता कि

उसे अब किस ओर अपना कैरियर

बनाना है। यह सही और जरूरी वक्त

होता है जब शिक्षार्थी को उचित सलाह

और परामर्श मिले। यह परामर्श

माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद नहीं

अपितु माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही

वह अपना मानस और मस्तिष्क यह

तय कर ले कि माध्यमिक शिक्षा के

उपरांत उसे क्या काम करना है, नौकरी

करनी है तो किस सेक्टर में करनी है,

व्यवसाय करना है तो किस सेक्टर में

करना है। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम

से उसे सिविल सर्विसेज में जाना है तो

कैसे जाना है, उसकी रुचि के अनुसार

उसका मस्तिष्क एकाग्र हो जाना

चाहिए। वर्तमान समय में बाजार में

विकल्प बहुत है, लेकिन उचित

मार्गदर्शन और चयन की समस्या बनी

हुई है, अगर समय रहते शिक्षार्थी को उचित मार्गदर्शन मिले और उसके साथ ही उसे जरूरी प्रशिक्षण प्राप्त हो तो विकल्प तराशने में आसानी हो सकती है।जिससे वह अपना आगे का कैरियर चुन सके। बेहतर विकल्प चुनने के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित कैरियर सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिए जो शिक्षार्थियों को उनके भविष्य के बारे में सही दिशा दिखा सके। कैरियर सलाहकार पूरे समय विद्यालय के दौरान छात्रों से परिचित रहे, और उनकी रुचि, क्षमता और लक्ष्य को समझे। उनकी क्षमताओं को समझकर सही कोर्स, व्यवसाय और नौकरी के विकल्प बता सके।

व्यवसायिक शिक्षा के कोर्स

माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ

संचालित किये जा सकते हैं। शिक्षार्थी

को माध्यमिक शिक्षा के बाद कहीं और

भटकना न पड़े और अपने विद्यालय

के माध्यम से वह अपने वोकेशनल

सिखने चुनते बेहतर विकल्प तलाश

कर ले। वैसे भी देश में युवाओं की

बढ़ती बेरोजगारी हमारी सरकारों और

समाज की चिंता बनी हुई है। इस गंभीर

समस्या से निपटने के लिए माध्यमिक

शिक्षा स्तर पर विकल्प तलाश करना

ही उचित होगा।

देशभर में बढ़ती बेरोजगारी से

निजात पाने के लिए इस चुनौती को

स्वीकार करते हुए नई शिक्षा नीति के

अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों में

व्यवसायिक विषय को पढ़ाने के लिए

पर्याप्त संख्या में परामर्शक, प्रशिक्षित

सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक मौजूद होने चाहिए। इसके लिए विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला एवं अन्य उपकरण जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। जरूरी नहीं है कि परामर्शदाता अथवा प्रशिक्षित शिक्षक– सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध न हो तो उपलब्धता के आधार पर स्कूलो का एक समूह गठन कर पांच-दस किलोमीटर के दायरे में अपने वहां सभी स्कूलों में ऐसे लोग समय निर्धारित कर विद्यार्थियों को परामर्श दे सकते हैं। चुनौती यह है कि बेरोजगारी की समस्या पर माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही मूल्यंकन और आंकलन किया जाना चाहिए, जिससे माध्यमिक शिक्षा के बाद हमारे देश के विद्यार्थी रोजगार, व्यवसायिक कि तरफ अपने बेहतर विकल्पों का चयन कर लें।

माध्यमिक शिक्षा के दौरान शिक्षार्थियों को वोकेशनल शिक्षण संस्थानों से परिचित होना चाहिए। ऐसे संस्थाओं को विद्यालयों में आमंत्रित किया जाना चाहिये हो सके तो विद्यार्थियों को वोकेशनल शिक्षण संस्थाओं की विजिट भी करवाई जा सकती है। कोर्सज तलाशने और प्रशिक्षण रुचि अनुसार 12 वीं कक्षा से पूर्व और 12 वीं कक्षा के दौरान दिया जाना अनिवार्य होना चाहिए। देश भर में रोजगार के अनेक विकल्प है उसमें से बेहतर विकल्प वर्ष में विद्यार्थी को चुनने का अवसर मिलेगा और उसकी रुचि भी बढ़ेगी। विचार तो इस पर भी

होना चाहिए की 12 वीं कक्षा के बाद एक वर्ष और उसी विद्यालय में कोर्सज संचालित किया जाए। जिससे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करने के लिए शिक्षार्थी को कहीं और न जाना पड़े। वहीं वोकेशनल कोर्स करने की व्यवस्था हो सके इस विषय पर शिक्षा प्रशासन और शिक्षाविदों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इस व्यवस्था में निजी और सार्वजनिक स्कूलों परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल भी बढ़ाने की जरूरत रहेगी। व्यवसायिक प्रशिक्षण केवल राजकीय स्कूलों तक सीमित ना हो बल्कि पब्लिक स्कूल, निजी स्कूलों और सार्वजनिक स्कूलों में भी इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था रहनी चाहिए। हां यह जरूर है कि अगर उनके पास इसकी उचित व्यवस्था प्रारंभ में ना हो तो राजकीय परामर्शदाता अथवा प्रशिक्षित शिक्षक निजी और सार्वजनिक स्कूलों की मांग पर उनको सेवाएं उपलब्ध करा सके। व्यवसायिक शिक्षा एक साथ संचालित हो तभी बेहतर विकल्प शिक्षार्थी के पास उपलब्ध हो सकेंगे। देश की बेहतर के लिए व्यवसायिक शिक्षा ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। हमारी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था व्यवसायिक शिक्षा के साथ भविष्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली होनी चाहिए। तभी हम अच्छी शिक्षा देने के साथ ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान तलाशने में कामयाब हो सकेंगे।

–राजेन्द्र जोशी,

शिक्षाविद-साहित्यकार

# जैव विविधता दिवस पर प्रतियोगितायें आयोजित

**भीलवाड़ा,** (निर्स)। भारतीय सांस्कृतिक नि







# ट्रक कंटेनर में ले जाया जा रहा 1.48 करोड़ रुपये का 300 किलो गांजा पकड़ा

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जयपुर और जोधपुर की संयुक्त टीमों ने टोंक में कार्रवाई की

टोंक/जोधपुर, (कासं)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जयपुर और जोधपुर की संयुक्त टीमों ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत टोंक में कार्रवाई करते हुए करीब तीन सौ किलो गांजा पकड़ा है। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 1.48 करोड़ रुपए बताई गई है। गोपनीय सूचना के आधार पर एनसीबी की संयुक्त टीम ने 19 मई की रात को टोंक के सोनवा टोल प्लाजा पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

एनसीबी के जोनल निदेशक (जोधपुर-जयपुर) आईआरएस घनश्याम सोनी ने बताया कि जोधपुर एनसीबी के पास महत्वपूर्ण इनपुट था और उसी आधार पर एनसीबी की टैक्निकल सर्विलांस यूनिट लगातार उस पर काम कर रही थी। टीम को पुछ्ता जानकारी मिली, तब संयुक्त टीम ने टोंक के सोनवा टोल प्लाजा पर एक संदिग्ध ट्रक कंटेनर को रुकवाया। जब इसकी बारीकी से तलाशी ली गई, तो उसमें एक विशेष रूप से निर्मित छुपा हुआ कक्ष मिला जिसमें 290 पैकेटों में कुल



एनसीबी की टीम ने ट्रक के चालक और सह चालक को गांजा सहित गिरफ्तार किया।

296.204 किलोग्राम गांजा छुपाकर रखा गया था। कार्रवाई के दौरान एनसीबी की टीम ने ट्रक के चालक और सह-चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके

अलावा नशीले पदार्थों के प्राप्तकर्ता को भी धर दबोचा।

जोनल निदेशक घनश्याम सोनी के अनुसार इस ऑपरेशन में टोंक और सीकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने

भी अहम भूमिका निभाई। अब गिरफ्त में आए तीनों बदमाशों से तस्करी के इस नेटवर्क की गहराई तक जांच कर गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

■ ट्रक के चालक और सह चालक को गिरफ्तार किया, नशीले पदार्थों के प्राप्तकर्ता को भी दबोचा

■ एनसीबी ने टोंक के सोनवा टोल प्लाजा पर एक संदिग्ध ट्रक कंटेनर में गांजा पकड़ा

एनसीबी के जोनल निदेशक सोनी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नशे की प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त करने के लिए एनसीबी का सहयोग करें। यदि किसी के पास नशीले पदार्थों से जुड़ी कोई सूचना हो, तो पोर्टल एमएनएस या 1933 हेल्पलाइन नंबर पर गुप्त रूप से जानकारी दे सकता है। सूचनाकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा।

## शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप

जोधपुर, (कासं)। शहर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में हालोको अपराधी मोंटू कंडार को खिलाफ यौन शोषण और धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि पीड़िता को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब अग्रिम जांच आरंभ की है। उसका मेडिकल करवाया गया है। थानाधिकारी ईश्वरचंद पारिक ने बताया कि हाईकोर अपराधी नागरी गेट निवासी मोंटू कंडारा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि वह यहां एक स्थान पर किराए पर रहती है। वह उसके संपर्क में आई तब उसने शादी का झांसा देकर पिछले दो साल से यौन शोषण करता रहा। शादी का दावा बनाए जाने पर वह धमकाने लगा और मारपीट की। थानाधिकारी पारिक ने बताया कि पीड़िता का आज मेडिकल करवाया गया है।

# प्रॉपर्टी व्यवसायी की हत्या का फरार आरोपी जयपुर से गिरफ्तार

■ प्रॉपर्टी व्यवसायी चंदन सिंह की मार्च में हत्या कर भागा था आरोपी, बेंगलुरु में 8-10 दिन रहने के बाद जयपुर आ गया और मजदूरी करने लग गया

■ आरोपी पर 10 हजार का इनाम घोषित था और जोधपुर पुलिस जिला पश्चिम के टॉप-10 वांछितों में शामिल था

भवानी सिंह ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में भवानी सिंह ने बताया कि 21 मार्च को मेरा भाई चंदन सिंह पुत्र हनुमान सिंह के साथ रात्रि में करीब 12 बजे से 12.40 बजे के आसपास रूपेश के मोबाइल पर मुकेश हुड्डा ने बात की और बताया कि आपकी गाड़ी में मेरा मोबाइल गिर गया था। आप मेरा मोबाइल मुझे लाकर दो, नहीं तो हम आपकी गाड़ियां जला देंगे। तभी फोन गंगाराम ने अपने

पास लेकर फोन पर चंदन सिंह की धमकी दी। कहा कि मेरे दोस्त मुकेश हुड्डा फोन आपकी गाड़ी में भूल गया है, उसे वापस कर दो नहीं तो हम आपकी गाड़ियां जला देंगे और तुझे मार देंगे।

चंदनसिंह फोन देने के लिए घर से रवाना हुआ। तब मोती मार्केट पुलिया के नीचे पहले से रूपेश सैन, मुकेश हुड्डा, गेनाराम, पारस सैन व 2-3 अन्य लोगों ने चंदनसिंह पर धारदार हथियार से

हमला कर दिया। चंदनसिंह के गर्दन के पास से खून बहना शुरू हो गया। चंदनसिंह का भाई हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

वारदात के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी रूपेश सैन, पारस सैन, अर्जुन चौधरी व प्रतापराम को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मुख्य आरोपी मुकेश हुड्डा व अशोक चौधरी, गंगाराम को गिरफ्तार किया गया था। कानाराम जाट फरार चल रहा था। उसको अब जयपुर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। कानाराम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की टीम में कुड़ी भगतासनी थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी, हैड कॉन्स्टेबल प्रेम चौधरी, गेनाराम, पारस सैन व 2-3 अन्य लोगों, महिपाल दिनेश शामिल रहे।

# 129 करोड़ की ठगी करने वाली गैंग के तीन युवक गिरफ्तार

उदयपुर, (निंस्)। शहर पुलिस ने सायबर ठगी करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से ठगी में काम आने वाले उपकरणों को जब्त किया। आरोपियों ने देशभर में 719 प्रकरणों में 129.72 करोड़ की ठगी की है।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा सायबर अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान 21 मई को डीएसटी टीम प्रभारी श्यामसिंह रत्न को सूचना मिली कि सबसिटी सेंटर हिरणमगरी में कार में सवार तीन लड़के अन्य व्यक्तियों से बैंक खातों से अवैध लेनदेन कर रहे हैं। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश

■ ठगी करने में सहयोगी उपकरण जब्त, आरोपियों के खिलाफ देशभर में 719 शिकायतें दर्ज हैं

ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगनपुरोहित के सुपरविजन में श्यामसिंह रत्न स्पेशल टीम प्रभारी मय टीम व हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी मय टीम ने मौके पर पहुंच कर कार्यवाही करते हुए हर्षवर्धन झा पुत्र राजेश झा, जयेश कुमार खटीक पुत्र सेशचन्द्र खटीक एवं तुकानसिंह पुत्र ब्रजेंसिंह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 10 मोबाइल, 2 लेपटॉप, 7 कंपनियों

की मोबाइल सीम, 10 एटीएम, चैकबुक, बैंक डायरी सहित वारदात में प्रयुक्त कार बरामद कर प्रकरण दर्ज कर जांच हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी को सौंपी है। आरोपी टेलराम गुप्त के माध्यम से केवाईसी, पुरा एक्सेस सहित देना अथुरी केवाईसी को ड्रेगन एसएमएस व गो एसएमएस नाम की एप्लीकेशन के माध्यम सेओटीपी प्राप्त कर पूरा एक्सेस देते थे। खातों की जानकारी प्राप्त करने के अपूर्ण खातेधारकों को लालच देकर केवाईसी पूर्ण कर उसके मोबाइल नंबर को लिंक कर खाते की संपूर्ण जानकारी, बैंक डायरी, चैक बुक व खाते की जानकारी भेजी जाती थी, जिनमें ठगी की नकदी जमा होती थी।

# एसडीएम के लिए 70 हजार की रिश्वत लेते रीडर गिरफ्तार

लघु ईट-भट्ठा लगाने के लिए भूमि समपरिवर्तन निरस्त करने के लिए परिवादी से रिश्वत ली

बहरोड़/नीमराना, (निंस्)। जिला कोर्टपूतली-बहरोड़ के बहरोड़ उपखंड अधिकारी के रीडर ललित कुमार यादव निवासी गादोज तहसील बहरोड़ को एसडीएम रामकिशोर मीणा के नाम से लघु ईट-भट्ठा लगाने के लिए भूमि सम परिवर्तन निरस्त करने के लिए परिवादी से 70 हजार रुपए की रिश्वत लेते रहे हाथों एसबीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के

महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसबीबी एसयू द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी परिव्रादी को परिवादी की भूमि पर लघु ईट-भट्ठा लगाने के समपरिवर्तन आदेश को निरस्त करने के लिये 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है।

जिस पर एसबीबी जयपुर द्वितीय एवं अनिल कयाल उप महानिरीक्षक

# पचास लाख की पंजाब निर्मित शराब पकड़ी, दो जने गिरफ्तार

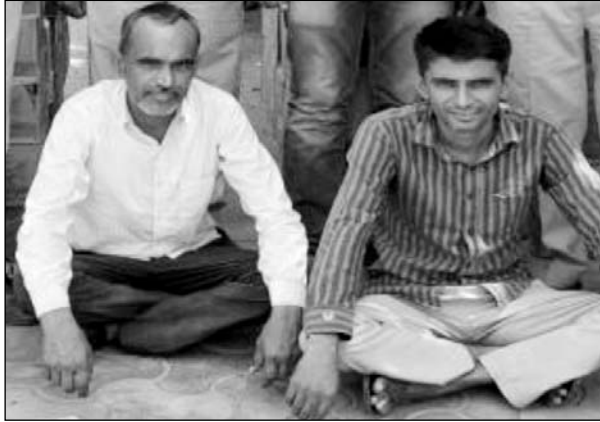
जालोर, (कासं)। जालोर जिले के सायला पुलिस ने गुरुवार को सरहद सांगणा स्थित एक्सप्रेस- वे टोल नाका के पास ट्रक डम्पर को जब्त कर पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के 414 कार्टून बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद अवैध शराब की अनुमानित बाजार कीमत 50 लाख रुपये आंकी गई है।

महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार जोधपुर, रेंज जोधपुर के द्वारा रेंज में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु “ऑपरेशन भौकाल” के तहत

■ आरोपियों ने प्रारम्भिक पूछताछ में उक्त माल पंजाब से भरकर गुजरात सप्लाई करने हेतु ले जाना बताया

कार्यवाही करने के निर्देशानुसार मन ज्ञानचन्द्रयादव, जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के निर्देशानुसार जिले में शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत हाइवे नाकाबंदी, संदिग्ध स्थानों एवं वाहनों की सघन तलाशी ली जाकर जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाहीयों की जा रही है।

इसी क्रम में मोटाराम गोदारा अति. पुलिस अधीक्षक, जालोर एवं



सायला पुलिस ने अवैध शराब सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गौतम कुमार जैन पुलिस उप अधीक्षक, वृत जालोर के सुपरविजन में सुरेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सायला के नेतृत्व में महिपालसिंह उपनिरीक्षक मय जाब्ता की पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचनानुसार अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस वे सरहद सांगणा स्थित टोल नाका के पास पहुंच कर हड़मानाराम पुत्र रामाराम विश्नोई निवासी नया वास, मेघावा, पुलिस थाना चितलवाना जिला जालोर व नैनाराम पुत्र महिराम विश्नोई निवासी विश्नोईयो का वास,

पाली के कब्जे से ट्रक में भरी हुई पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। ट्रक डम्पर को जब्त कर पुलिस थाना सायला में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

आरोपियों ने प्रारम्भिक पूछताछ में उक्त माल पंजाब से भरकर गुजरात सप्लाई करने हेतु ले जाना बताया है, माल पंजाब से मंगवाकर गुजरात सप्लाई करने वाले पूनमाराम निवासी हेमागुड़ा के घर पर दबिश दी गई जो घर पर नहीं मिला। अवैध शराब पंजाब से कहां से भरवाया गया तथा गुजरात किसको सप्लाई किया जाना था इस सम्बंध में गहन अनुसंधान जारी है।

# सांप के काटने से बालिका की मौत पैथर ने मवेशियों को निशाना बनाया

भीलवाड़ा, (निंस्)। जिले के काछोला थाना क्षेत्र में घर पर सोई हुई सात साल की मासूम बालिका को नींद में गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां मासूम ने बीती रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मानवी पिता हेमराज दरोगा मूलतः चित्तौड़ जिले के निवासी हाल काछोला थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में अपने परिवार के साथ रह रही थीं। मासूम आंगनबाड़ी में पढ़ाई करती थीं।

रोजमरा की तरह मानवी घर पर ही अपने माता-पिता के साथ सो रही थीं, इसी दौरान सांप ने सोते समय मानवी के दोनों हाथों पर काट लिया जिसके चलते मानवी की हालत बिगड़ गई। सांप के काटने से मानवी चिल्लाई तो तुरंत माता-पिता उसे नजदीकी चिकित्सालय ले गए, जहां से हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे तुरंत महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया।

एमजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान बुधवार रात मानवी ने दम तोड़ दिया, जिसके शव को महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया, जहां पुलिस द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिवर्जनों को सुपुर्द कर दिया गया।

पैथर ने मवेशियों को निशाना बनाया भीलवाड़ा, (निंस्)। जिले के मांडल थाना क्षेत्र में पैथर (तेंदुआ) के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मांडल उपखण्ड के भादू ग्राम पंचायत के भालडी खेड़ा गांव की गोशाला में पैथर ने बछड़ों को निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पैथर को पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार सुबह वह गोशाला पहुंचे तो उन्होंने बछड़े और एक अन्य पशु को मृत पाया।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Jalore Nagrik Sahakari Bank Ltd.</b><br>Head Office : Near Haridav Joshi Circle, Jalore (Rajasthan)<br>Email: headoffice@jalsahakari.com   Bank Branch : www.jalorbank.com   Phone No: 9413854111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                         |
| क्रमांक/आवस्यकदिन/1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निविदा सूचना | दिनांक: 22.05.2025      |
| जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड को अपनी विभिन्न शाखाओं के लिए वर्ष 2025-26 COMPUTER, HARDWARE- SOFTWARE, UPS - Battery & ATM/ Recycler Machine इत्यादि खरिद हेतु इच्छुक पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म / कम्पनी (GST Firm) से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म / कम्पनी (GST Firm) अपनी निविदा एवं सिलत बद्ध निविदाएं के दिनांक 06.06.2025 को सां. नि. वि. रेंज में जालोर कार्यालय स्थित मुख्यालय/नगरी अधिकारी के कक्ष में रखी गये टेंडर बॉक्स में सहाज सुनिश्चित करें। निविदा प्रति निविदा शुल्क जमा करवावे पर प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत विवरण , जर्नल, माना इत्यादि के सम्पूर्ण जानकारी बैंक की वेब साईट www.jalorbank.com पर उपलब्ध है। |              |                         |
| प्रारामभद मधु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |

| THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NOTICE INVITING BID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>NIB Number: 08/2025-26</b><br>Bids are invited for the Procurement of Services of "Strategic Business Promoter to Equip, Operate, Manage & Transfer Business Services at ICD, Jodhpur" from the eligible and experienced bidders up to 5.00 PM on 05.06.2025<br>Other particulars of the bid may be viewed on the procurement portal ( <a href="https://eproc.raajasthan.gov.in">https://eproc.raajasthan.gov.in</a> , <a href="https://sppp.raajasthan.gov.in">https://sppp.raajasthan.gov.in</a> ) of the state and the official website of RSIC i.e. <a href="https://www.industries.raajasthan.gov.in/rsic/">https://www.industries.raajasthan.gov.in/rsic/</a> .<br>The approximate value of the procurement is INR Rs. 15.00 Crores<br><b>UBN No: RSI25265GSOB00008</b><br><b>Raj.Samwad/C/24/2818</b> | Managing Director |

| कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| क्रमांक :- जीएस/2025-26/471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दिनांक :- 20/05/2025 |
| ई-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय/09/2025-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदक जिनका पंजीयन 4 वर्ष की अवधि में पुनरावलोकन (Review) किया हुआ हो जो निविदा की निमांरित शर्तों को पूर्ण करती है से निमांरित प्रपत्र में ई-प्रोक्चुरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा भेजे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा, शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट <a href="http://www.jodhpurjda.org">www.jodhpurjda.org</a> , <a href="http://www.eproc.raajasthan.gov.in">www.eproc.raajasthan.gov.in</a> एवं <a href="http://www.sppp.raj.nic.in">www.sppp.raj.nic.in</a> पर देखी जा सकती है। <b>UBN No.: JOD2526WSOB000081, JOD2526WSOB000082</b><br><b>रज.समवाद/सी/25/2756</b> | अधिराशी अधिकृतता     |

| कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड, बीकानेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| क्रमांक:- अन्व.वि.खण्ड/सा.नि.वि. रेंज/राजखण्ड/2025-26/126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दिनांक:- 14.05.2025 |
| ई-निविदा सूचना संख्या 06/वर्ष 2025-26 (NIB Code No. PWD2526A0574)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <p>निम्न हस्ताक्षर कर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विद्युतधाराण कार्य के लिए मोहरबन्द निविदाएं सा.नि.वि. रेंज में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रयत्नों की प्रति अधोस्तराक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की दिनांक 15.05.2025 से 26.05.2025 तक सां.वि. रेंज में 6.00 बजे तक जमा कराई जा सकती है। तकनीकी निविदा दिनांक 27.05.2025 को दोपहर 15.00 बजे छोली जायेगी। प्री-बिड मीटिंग की दिनांक 21.05.2025 दोपहर 01.00 बजे है। निविदा की अन्य शर्तें एवं स्थितियां तकनीकी आदि का विवरण किसी भी कार्य दिवस के दौरान इस कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है। अन्य शर्तें व विवरण इस कार्यालय में व बीपीआर की वेबसाईट <a href="http://www.dipronline.org">www.dipronline.org</a>, <a href="http://sppp.raj.nic.in">http://sppp.raj.nic.in</a> पर देखा जा सकता है। कुल कार्यों की संख्या 03 कुल लागत 293.61 लाख।</p> |                     |
| <div>भवदीय<br/>( शैलेश कुमार पाठक )<br/>अधिशाषी अभियन्ता,<br/>सा.नि.वि. विद्युत खण्ड, बीकानेर</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>UBN No. 1. PWD2526WSOB01728</b><br><b>2. PWD2526WSOB01729</b><br><b>3. PWD2526WSOB01730</b><br><b>DIPR/C/6491/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

| कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड राजाखेड़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | क्रमांक: 182-196                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दिनांक: 14.05.2025                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या : 02 / 2025 - 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| NIB Code: PWD2526A0565 and UBN is: PWD2526WSOB01708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड राजाखेड़ा जिला बीकानेर में सड़क एवं पुलिया मरम्मत कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों, राज्य सरकार के अन्य विभागों में पंजीकृत "एए", "ए", "पी" "सी" एवं "डी" श्रेणी संवेदकों एवं केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे स्थापना में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "एए", "ए", "पी" "सी" एवं "डी" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निष्पत्ति प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट <a href="http://www.eproc.dipronline.org">www.eproc.dipronline.org</a> व <a href="http://www.pwd.raajasthan.gov.in">http://www.pwd.raajasthan.gov.in</a> , <a href="http://www.eproc.raajasthan.gov.in">www.eproc.raajasthan.gov.in</a> एवं <a href="http://www.sppp.raj.nic.in">www.sppp.raj.nic.in</a> पर देखा जा सकता है। |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| क्र.सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मुख्यालय का नाम                                                      | सार्वजनिक अधिशाषी अभियन्ता, राजाखेड़ा                                                                                                                                                                                                                                                                               | कार्यालयिक निर्माण विभाग खण्ड राजाखेड़ा |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निविदा का कार्य                                                      | पुलिया मरम्मत कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निविदा की कुल लागत                                                   | ₹. 17.25 लाख                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निविदा शुल्क, प्रोवेंसिंग शुल्क एवं घरोर राशि जमा कराने की प्रक्रिया | विस्त विभाग द्वारा जारी प्रपत्र प.5 (विच/सावितेवि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई-ग्राम चालान पर ऑनलाइन एक ही चालान द्वारा निम्न बजट मद में जमा करानी है।<br>(1) निविदा शुल्क 0075-00-800-52-01<br>(2) प्रोवेंसिंग शुल्क 8658-00-102-(16)-[02]<br>(निर्माण विभाग) (RISL Fees)<br>(3) घरोर राशि 8443-00-108-00-00 |                                         |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निविदा आवेदन/ डाउनलोड करने की तारीख (वेबसाइट पर)                     | दिनांक 15.05.2025 प्रातः 9.30 बजे<br>दिनांक 26.05.2025 सायं 6.00 बजे तक                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निविदा फार्म जमा करने की तारीख (वेबसाइट पर)                          | दिनांक 15.05.2025 प्रातः 9.30 बजे<br>दिनांक 26.05.2025 सायं 6.00 बजे तक                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निविदा खोलने की तारीख (वेबसाइट पर)                                   | दिनांक 27.05.2025 दोपहर 12.30 बजे                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| ( सौरभ शर्मा )<br>अधिशाषी अभियन्ता<br>सा.नि.वि. खण्ड, राजाखेड़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| DIPR/C/6480/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |

# व्यापारी से 1.74 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम से फर्जी फर्म बनाकर भीलवाड़ा के एक व्यापारी से धोखाधड़ी की थी

भीलवाड़ा, (निंस्)।जिले की सायबर थाना पुलिस ने दिल्ली में गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम से फर्जी फर्म बनाकर भीलवाड़ा के एक व्यापारी से 1.74 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 48 लाख 39 हजार रुपए भी रिकवर कर लिए हैं। उक्त फर्म के खिलाफ देश के पांच राज्यों में शिकायत दर्ज होने का भी खुलासा हुआ है।

सायबर पुलिस ने बताया कि भीलवाड़ा निवासी व्यवसायी से गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर हुई सायबर ठगी को लेकर सायबर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बैंक एवं नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर 60 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में होल्ड करवा दिये। पुलिस टीम ने अथक प्रयास कर प्रकरण में फर्जी कंपनी बनाकर ठगी



भीलवाड़ा जिले की सायबर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

करने वाले आरोपियों सरताज अली तथा मो. अख्तर अंसारी को गिरफ्तार

किया था। अभी तक पुलिस 48.39 लाख रुपये पीड़ित व्यवसायी को बैंक

खाते में रिफंड करवाए हैं। पुलिस ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के रहने वाले

■ पुलिस ने आरोपियों से 48 लाख 39 हजार रुपए भी रिकवर किये, फर्म के खिलाफ पांच राज्यों में शिकायत दर्ज होने का भी खुलासा हुआ

इन सायबर ठगों ने दिल्ली में जो फर्जी फर्म, गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम से बनाई, उक्त फर्म के बैंक खातों पर महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु सहित देशभर में करोड़ों की शिकायतें दर्ज हैं। सायबर थाना प्रभारी डीएसपी उदय सिंह चुण्डावत, सीआई घनश्याम मीणा, हेड कॉन्स्टेबल मानसिंह, हेड कॉन्स्टेबल राजेंद्र मीणा, कॉन्स्टेबल राजेंद्र इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।







# 12वीं विज्ञान, वाणिज्य, कला वर्ग एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के परीक्षा परिणाम जारी

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी

अजमेर, (कास)। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को नागौर जिला कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक विज्ञान, वाणिज्य, कला वर्ग एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा-2025 के परीक्षा परिणाम जारी किए।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की मेहनत का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये विद्यार्थी भविष्य में भी राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। शिक्षा मंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष बधाई दी।

संभागीय आयुक्त एवं बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा का आयोजन सफलता पूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुआ। उन्होंने परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और विद्यालय स्टाफ को शुभकामनाएं दी एवं बोर्ड टीम को कुशल संचालन के लिए धन्यवाद दिया। शर्मा ने बताया कि बोर्ड की उच्च माध्यमिक विज्ञान, वाणिज्य के साथ साथ कला वर्ग परीक्षा 2025 एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम गुरुवार शाम को घोषित किया गया है। विज्ञान वर्ग की परीक्षा का परिणाम 98.43



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा के परिणाम जारी किए गये।

प्रतिशत, वाणिज्य वर्ग का परीक्षा का परिणाम 99.07 प्रतिशत, कला वर्ग का परीक्षा का परिणाम 97.78 प्रतिशत एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम 97.76 प्रतिशत रहा। उन्होंने बताया कि उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा में 2 लाख 73 हजार 915 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 2 लाख 72 हजार 138 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा का परिणाम 98.43 प्रतिशत रहा। इसमें से छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.07 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 99.02 रहा। उच्च

माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा में एक लाख 69 हजार 306 छात्रों में से एक लाख 45 हजार 102 छात्र और एक लाख 2 हजार 832 छात्राओं में से 96 हजार 216 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। उन्होंने बताया कि उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग की परीक्षा में कुल 28 हजार 248 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 28 हजार 10 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग की परीक्षा का परिणाम 99.07 प्रतिशत रहा। इसमें से छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.97 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 99.27 रहा। उच्च

माध्यमिक वाणिज्य वर्ग की परीक्षा में 18 हजार 637 छात्रों में से 13 हजार 689 छात्र और 9373 छात्राओं में से 8312 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। उन्होंने बताया कि उच्च माध्यमिक कला वर्ग की परीक्षा में 5 लाख 87 हजार 444 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 5 लाख 78 हजार 164 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। उच्च माध्यमिक कला वर्ग की परीक्षा का परिणाम 97.78 प्रतिशत रहा। इसमें से छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 97.09 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.42 रहा। उच्च माध्यमिक कला वर्ग की परीक्षा में 2

■ **विज्ञान वर्ग की परीक्षा का परिणाम 98.43 प्रतिशत, वाणिज्य वर्ग का 99.07, कला वर्ग का 97.78 एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम 97.76 प्रतिशत रहा**

जानकारी के अनुसार मिल में ऊन बनाने के लिए उपयोग में आने वाले घागे धोने के लिए कई तरह के केमिकल यूज करते हैं। इसका पानी टैंक में जाता है। इस पानी को साफ करने के लिए तीन मजदूर शिवबाड़ी निवासी सागर, अनिल और गणेश करणी को बुलाया था। टैंक में सबसे पहले एक मजदूर उतरा था। भवानी वूलन टेक नामक कंपनी में सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए ये हादसा हुआ था। सुबह करीब दस बजे सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मजदूरों को बुलाया गया था। ये लोग सफाई करने

## सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान तीन मजदूरों की मौत

टैंक में कार्बन डाई ऑक्साइड बनने से तीनों अचेत हुये, तीनों ने कोई सुरक्षा उपकरण नहीं पहन रखे थे

बीकानेर, (निस)। शहर के करणी औद्योगिक परिया में वूलन मिल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान तीन मजदूरों की मौत हो गई। तीनों का सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुट गया था। काफी देर तक टैंक के अंदर से आवाज नहीं आने पर अन्य साथी टैंक में उतरे। इसके बाद तीनों को बाहर निकालकर लेकर आए। अचेत हालत में पीबीएम हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

जोआनकारी के अनुसार मिल में ऊन बनाने के लिए उपयोग में आने वाले घागे धोने के लिए कई तरह के केमिकल यूज करते हैं। इसका पानी टैंक में जाता है। इस पानी को साफ करने के लिए तीन मजदूर शिवबाड़ी निवासी सागर, अनिल और गणेश करणी को बुलाया था। टैंक में सबसे पहले एक मजदूर उतरा था। भवानी वूलन टेक नामक कंपनी में सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए ये हादसा हुआ था। सुबह करीब दस बजे सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मजदूरों को बुलाया गया था। ये लोग सफाई करने

■ **तीनों का सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुट गया था, काफी देर तक टैंक के अंदर से आवाज नहीं आने पर अन्य साथी टैंक में उतरे**

■ **इसके बाद तीनों को बाहर निकालकर लेकर आए, अचेत हालत में पीबीएम हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया**

■ **भवानी वूलन टेक नामक कंपनी ने सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान हादसा हुआ**

उतरो एक नीचे गया, लेकिन बाहर नहीं आया तो दूसरा मजदूर गया। इसके बाद तीसरा गया।

तीनों की ही अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद बाहर खड़े एक अन्य मजदूर ने मिल मालिक को सूचना दी। जिसके बाद तीनों को अचेतावस्था में बाहर निकला। पीबीएम अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सेप्टिक टैंक में उतरने से पहले कई तरह के सुरक्षा उपकरण पहनने होते हैं। जिन तीन मजदूरों को बाहर निकाला गया है, उन्होंने कोई सुरक्षा उपकरण नहीं पहने हुए

थे। टैंक में कार्बन डाई ऑक्साइड बनने से तीनों अचेत हो गए थे।

बीकानेर के करणी इंडस्ट्रियल एरिया में तीन साल पहले भी चार मजदूरों की मौत हो गई थी। तब भी मजदूरों को पानी का टैंक साफ करने की कहकर बुलाया था और सेप्टिक टैंक में उतरा दिया था। सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस में दम घुटने से एक-एक कर चारों मजदूरों की मौत हो गई थी। टैंक की सफाई के लिए मजदूरों को कोई उपकरण देने के बजाय महज एक बाल्टी थमा दी थी।

## हाजिरी पूरी करने के बीए बीएड की छात्रा से 10 हजार रुपये मांगे

बीकानेर, (निस)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीए बीएड चतुर्थ वर्ष की छात्रा से उसकी हाजरी पूरी करने के बदले 10 हजार रुपए की रिश्तत मांगने के आरोपी खाजुवाला एसडीपीजी कॉलेज के डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

खाजुवाला में 12 केवाईडी निवासी भूपराम कुम्हार ने एसीबी की रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुत्री रेणुवाला खाजुवाला के एसडीपीजी कॉलेज में बीए बीएड की चतुर्थ वर्ष की छात्रा है। उसने कॉलेज की पूरी फीस 27 हजार रुपए जमा करवा दी। परीक्षा के लिए उसने ऑनलाइन फार्म भरा जिसमें भूलवश एक विषय गलत भरा गया। वह 24 जनवरी, 2025 को अपने कॉलेज के

■ **खाजुवाला एसडीपीजी कॉलेज के डायरेक्टर के खिलाफ एसीबी में केस दर्ज**

■ **आरोपी को भनक लगने और उसके सतर्क होने के कारण दो बार ट्रेप नहीं हो सका**

डायरेक्टर दिलीप कुमार डेलू से विषय को ठीक करवाने, इंटरनल परीक्षा करवाने तथा लेसन की डायरी कॉलेज से प्राप्त करने के लिए मिली। डेलू ने उसे हाजरी पूरी नहीं होने की बात कही और इसके लिए 10 हजार रुपए मांगे। एसीबी के एसआई आनंद मिश्रा ने शिकायत का सत्यापन करवाया जिसमें 10 हजार रुपए रिश्तत मांगने की पुष्टि हुई। उसके बाद एसीबी ने ट्रेप का आयोजन किया, लेकिन,

आरोपी को भनक लगने और उसके सतर्क होने के कारण दो बार ट्रेप नहीं हो सका। एसीबी की बीकानेर चौकी के एसएपी विनोद कुमार ने बताया कि क्योंकि रिश्तत मांगने की पुष्टि हो चुकी थी। इसलिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिपोर्ट तैयार कर जयपुर मुख्यालय जहां कॉलेज के डायरेक्टर के खिलाफ रिश्तत मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच डीवाईएसपी महेश श्रीमाली करेंगे।

## हत्या के आरोपियों की पुलिस ने परेड निकाली



हत्या के दो आरोपियों को पुलिस पैदल ही मौके पर लेकर पहुंची। दोनों आरोपियों के पैर में चोट थी।

कोटा, (निस)। जिले के कनवास कस्बे में 18 मई को एक बाइक के शोरूम में कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद में एक बहमाश ने युवक संदीप शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अतीक उर्फ आदिल और दीपक उर्फ दीपू का पुलिस ने गुरुवार को जुलूस निकाला। दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। ऐसे में पुलिस उन्हें सुबह थाने से घटनास्थल पर लेकर आई।

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि आरोपियों से मौके की तस्दीक करवाने और घटनाक्रम का मौका नक्शा

बनाने के लिए कार्रवाई की गई है। दोनों को चोट लगी हुई थी। इसलिए उन्हें मौके पर पैदल ही ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि सड़क पर रेंगते हुए अतीक चल रहा था क्योंकि उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं। उनमें प्लास्टर चढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ दीपू भी लंगड़ा कर चल रहा था। वह लाठी के सहारे चल रहा था। उसका एक पैर टूटा हुआ है जिसमें प्लास्टर बंधा हुआ है। भारी पुलिस जाफा और एसटीएफ टीम की सुरक्षा में उन्हें लेकर जाया जा रहा था। इस मामले में घटना वाली रात (18 मई) को आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। दूसरी

तरफ पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंची तब भागने की फिराक में दोनों चोटिल हो गए थे। थानाधिकारी श्यामराम ने बताया कि आरोपी ने छुपने के लिए खुद के बाल कटवा लिए थे। साथ ही हुलिया बदल लिया था। पुलिस गिरफ्त में आने से बचने के लिए भागने पर ही उनको चोट लग गई। इससे दोनों के पैर में फ्रैक्चर भी आए हैं। आरोपी अतीक उर्फ आदिल के खिलाफ छह मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, मारपीट, जानलेवा हमला, धोखाधड़ी और एनडीपीएस के मुकदमे हैं। वहीं दीपक के खिलाफ सट्टे के दो प्रकरण हैं। दोनों आदतन अपराधी हैं।

## ऑनलाइन गेमिंग सट्टा लगाते चार गिरफ्तार

उदयपुर, (निस)। शहर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने दुबई में बैठकर बजरंगबुक ऑनलाइन गेमिंग के जरिये सट्टा खेलाने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से सट्टा उपकरण जब्त किए। दुबई में बैठ मुख्य आरोपी गेमिंग साइट चलाता था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एलओसी जारी की है।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि अभियान के दौरान गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र शिकारवाड़ी कॉलोनी में लेकविजन अपार्टमेंट के एक फ्लेट पर दबीश देकर बजरंग बुक ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट पर सट्टा लगाते कुलदीपसिंह पुत्र दूंगरसिंह कुम्पावत निवासी मैन रोड शिकारवाड़ी रेजेंडेंसी अपार्टमेंट गोवर्धन विलास, मुकेश कुमार पुत्र टिकुसिंह राजपूत निवासी जमशेदपुर टाउनगर पूर्वी सिंघयूम झारखंड, जयेश पुत्र सुखलाल रेगर निवासी देवपुरा थाना सदर राजनगर तथा निरजसिंह पुत्र शंकर शिकारवाड़ी कॉलोनी में लेकविजन अपार्टमेंट पहुंच कर दबीश दी, जहां चार युवक ऑनलाइन काम करते मिले, जो ऑनलाइन लेनेदेन कर बजरंगबुक पर काम करते दिखे।

वहीं मौके से तीन लेपटॉप, चार पीसी सेटअप मय दो सीपीयू, 13 कंपनी के मोबाइल, 4 निजी मोबाइल, 27 एटीएम, 4 बैंक पासबुक, 8 बैंक बुक 23 सीम कार्ड, वाईफाई राउटर व नकद 40 हजार रूपये जब्त किए। इस मामले में मुख्य आरोपी पुनित खतूरीया उर्फ सोनू सिंधी पुत्र किशार सिंधी निवासी आलोक कूरूल के पास सबीना

■ **दुबई में बैठकर बजरंगबुक ऑनलाइन गेमिंग साइट चलाता था मुख्य आरोपी, तलाश के लिए एलओसी जारी की**

फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। विदेश भागने की संभावना के लिए पुलिस ने सोनू की तलाश के लिए एलओसी जारी करवाई।

प्रकरण के अनुसार एक मई रात में सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीरसिंह के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थानाधिकारी दिलिपसिंह झाला, डीओ कालुलाल एसआई मय टीम ने शिकारवाड़ी कॉलोनी में लेकविजन अपार्टमेंट पहुंच दबीश दी, जहां चार युवक ऑनलाइन काम करते मिले, जो ऑनलाइन लेनेदेन कर बजरंगबुक पर काम करते दिखे।

पूछताछ करने पर सभी उक्त गेमिंग साइट मास्टरमाईड पुनित उर्फ सोनी सिंधी द्वारा तैयार कर दुबई कार्यालय से संचालन वेबसाइट पर क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी सहित अन्य गेम पर ऑनलाइन सट्टा संचालन करने की जानकारी दी। इसके खेलने के लिए ग्राहक बजरंग बुक पर जुड़कर अपना आईडी प्राप्त कर खेलते हैं।

## परीक्षा में जांच के बहाने नाबालिग छात्र से अश्लील हरकत का आरोप

उदयपुर, (निस)। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के संघटक कॉमर्स कॉलेज में बाहर से परीक्षा देने आए एक नाबालिग छात्र की फैकल्टी द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। छात्र के परिजनों ने इस संबंध में भूपालपुरा थाने में परिकाद दर्ज कराया। साथ ही कॉलेज डीन को शिकायत की।

शिकायत में बताया कि कॉलेज में परीक्षा चेकिंग के नाम पर एक सर मुझे केबिन में ले गए और मेरे कपड़े उतारने को कहने लगे। जब मैंने मना किया तो चैकिंग के नाम पर मेरी पैंट खोल दी। फिर धमकी देने लगे कि मुझे चेक करने दो। नहीं तो चीटिंग का आरोप लगाकर करियर खराब कर दूंगा। छात्र ने रिपोर्ट में यह भी

■ **परीक्षा देने गए स्टूडेंट ने फैकल्टी पर आरोप लगाया**

बताया कि अश्लील हरकतें करने लगे। छात्र को धमकाया कि किसी को बताया तो करियर खराब कर दूंगा। फैकल्टी की इस हरकत से नाबालिग बुरी तरह सहम गया। वह दो दिन मानसिक तनाव में रहा। वहीं घटना सामने आने के बाद कॉलेज छात्रों ने जमकर हंगामा किया।

नाबालिग ने हाल ही 12वीं की परीक्षा पास की है और वह सीए की तैयारी कर रहा है। कॉमर्स कॉलेज में 19 से 21 मई तक सीए फाउंडेशन की परीक्षा आयोजित हुई। यह पहले दिन 19 मई की घटना है जब छात्र के साथ एक टीचर

ने चेकिंग के नाम पर अश्लील हरकतें की। दूसरे दिन 20 मई को छात्र की परीक्षा में गैप था। इसलिए वह कॉलेज नहीं गया। तीसरे दिन बुधवार को उसे वापस परीक्षा देने जाना था लेकिन वह जाने के लिए पेरेंट्स से मना करने लगा। पेरेंट्स ने जब उसके हाव-भाव देखकर कारण पूछा तो उसने पूरी घटना बताई। जिसके बाद पेरेंट्स ने कॉमर्स कॉलेज डीन को लिखित शिकायत की। साथ ही भूपालपुरा थाने में परिवार दिया।

मामले में कॉलेज डीन बीएल वर्मा का कहना है कि छात्र के पेरेंट्स ने मुझे शिकायत की है। उन्होंने चेकिंग के बहाने हुई गलत हरकतों की आपबीती सुनाई। फैकल्टी कौन है इसकी जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी।

## अजमेर में दरगाह क्षेत्र से तीन बांग्लादेशी महिलाएं पकड़ी



अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और सीआईडी जोन अजमेर ने तीन बांग्लादेशी महिलाओं को डिटैन किया।

अजमेर, (कास)। केंद्र और राज्य सरकार के निदेशों पर चलाए जा रहे अवैध निगराणियों के खिलाफ अभियान के तहत अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और सीआईडी जोन अजमेर द्वारा संयुक्त कार्रवाई जारी है। पुलिस टीम ने दरगाह क्षेत्र से अवैध रूप से रह रही तीन बांग्लादेशी महिलाओं को डिटैन कर हिरासत में लिया है। अभियान के तहत अब तक 41 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है।

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर व मुख्यालय) हिमांशु जागिड़ तथा वृत्ताधिकारी लक्ष्मण राम के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने दरगाह थाना क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान मुखबिरों से मिली सूचनाओं और तकनीकी साधनों के आधार पर दरगाह बाजार, नई सड़क, तारागढ़ की पहाड़ी, लंगरखाना गली आदि में संदिग्धों की तलाश की गई। इस दौरान तीन महिलाएं पना बेगम उर्फ अमीना, समीरा और साहनी उर्फ समीना उर्फ

रिहाना को पकड़ा गया। पकड़ी गई महिलाएं बांग्लादेश से बेनापोल और दिल्ली बॉर्डर के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थी। पूछताछ में महिलाओं ने बांग्लादेशी होने की पुष्टि की और बताया कि पश्चिम बंगाल के मैदनापुर होते हुए अजमेर पहुंची थी और दरगाह क्षेत्र में पिछले काफी समय से रह रही थी। इन महिलाओं को सिलावट मोहल्ला, दरगाह बाजार से दस्तबाब किया गया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में इनके भारत आने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाया है और जांच जारी है।

## पाक बॉर्डर के नजदीक संदिग्ध कबूतर मिला

श्रीगंगानगर, (निस)। जिले के रायसिंहनगर के समीप समेजा थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुरा में एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। कबूतर लावारिस हालत में गांव के पास दिखाई दिया। ग्रामीणों ने जब उसे पकड़ा तो उसके पैर में छल्लेनुमा वस्तु बंधी हुई थी। शक होने पर ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना समेजा पुलिस थाने में दी। सूचना मिलते ही समेजा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कबूतर को अपने कब्जे में ले लिया।

थाना प्रभारी ने बताया कि कबूतर के पैर में बंधी वस्तु संदिग्ध प्रतीत हो रही है। यह छल्ला किसी कोड या संदेश से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने कबूतर को वन विभाग के हवाले करने के लिए वन विभाग की टीम को सूचना दी गयी है। सुरक्षा एजेंसियों को भी इस मामले

की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने बताया कि कबूतर की जांच के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि कबूतर किसी देसी या विदेशी साजिश से जुड़ा है या नहीं। फिलहाल कबूतर को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि गांव सलेमपुरा पाक बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि इस तरह की कोई और संदिग्ध वस्तु या जीव दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं। कबूतर के छल्ले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।

### पांच लाख की धोखाधड़ी

जोधपुर, (कास)। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से बांबे मोटर चौराहा के पास में शतरंज इंस्टीट्यूट खोलने एवं पार्टनरशिप के नाम पर पांच लाख रूपए ऐंट लिए। ना तो इंस्टीट्यूट खोला गया और ना ही रकम वापिस लौटाई। पीड़ित ने नामजद व्यक्ति के खिलाफ प्रतापनगर सदर थाने में धोखाधड़ी में रिपोर्ट दी है। प्रतापनगर सदर पुलिस ने बताया कि मूलतः कबनूर महाराष्ट्र हाल मालवीय नगर जयपुर के रहने वाले कौस्तुभ कुष्णांत गोते ने रिपोर्ट दी है। उसने रिपोर्ट में बताया कि गत वर्ष उसकी मुलाकात बांबे मोटर के समीप दिल्ली के बुरादी निवासी मयंक शर्मा से हुई थी। यहां एक कार्यालय में उनके बीच में बांबे मोटर के पास में शतरंज इंस्टीट्यूट खोलने की बात हुई थी, जिसमें पार्टनरशिप के तौर पर उससे मयंक शर्मा ने पांच लाख रूपए ले लिए। मगर इंस्टीट्यूट खोलने के नाम पर वह टालमटोल जवाब देता रहा। आखिरकार रकम को हड़प कर गया।









प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 1०3 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मौजूद रहे।

# प्रधानमंत्री ने देशनोक में 1०3 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया

## उन्होंने बीकानेर वासियों को बीकानेर-मुम्बई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी

देशनोक, 22 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए देशभर के 1०3 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशनोक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी दी।

उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से भी मिले और

### वन रक्षक पेपर लीक में तीन और गिरफ्तार

जयपुर, 22 मई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वनरक्षक पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, वनरक्षक उमाराम, प्यारी व दलाल रोश कुमार को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम पछताछ करने में जुटी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने

■ **अति. पुलिस महानिदेशक वी.के. सिंह ने बताया कि वन रक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को परीक्षा से पहले पेपर पढ़ाया तथा दलाल रमेश कुमार ने पेपर पढ़ने की एवज में आठ लाख रुपये प्राप्त किये।**

बताया कि 12 मार्च 2०25 को कंवरा राम जाट को गिरफ्तार किया गया था। जिससे पृष्ठताछ में सामने आया कि उसने वनरक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को 13 नवंबर 2०22 का वन रक्षक परीक्षा का पेपर परीक्षा से पूर्व उदयपुर में पढ़ाया था। पेपर पढ़ने वाले वन रक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी उमाराम ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर पढ़ने की एवज में वांछित आरोपी जबरामराम जाट को 1 लाख रुपये व प्यारी कुमारी के भाई वांछित आरोपी हीराराम ने अपनी बहिन के पेपर पढ़ने की एवज में वांछित आरोपी जबराराम जाट को 3 लाख रुपये दिया। इसके अतिरिक्त, पूर्व में गिरफ्तार वनरक्षक टिगो के दलाल रोश कुमार को वनरक्षक का पेपर पढ़ने की एवज में उसके भाई महेन्द्र से 8 लाख रुपये प्राप्त कर, अपने मित्र कंवरा राम चौधरी स्टेशन मास्टर के माफ़त, एन डी सारण को 7 लाख रुपये दिये थे, उसे भी गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने पृष्ठताछ के लिए 26 मई तक रिमांड दिया है।

## अब हर आतंकी...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

थी। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां राजस्थान के बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। राजस्थान की वीरभूमि के तप से ही ऐसा संयोग बना है। सभा को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर की धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कहा कि मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो मां करणी के मंदिर में दर्शन करने आए हैं।

कार्यक्रम का शुरुआत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह स्वरूप चरखा भेंट कर स्वागत किया। स्वयं सहायता समूह की सदस्या सुमित्रा, अर्जुन अवाडी मगन सिंह राजवी एवं कर्नल हेमसिंह ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैवा, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित, राज्य के कई मंत्रीगण सांसद एवं विधायकगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइंट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 41०3333-34, फैक्स : ०141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386०31, 2386०32,फैक्स:०744-2386०33 बीकानेर कार्यालय : कुमाना हाऊस, हनुमान नहरा, बीकानेरा फोन: 22००66०, फैक्स ०151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेरा फोन: 2627612, फैक्स:०145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौरा फोन 226422,226423, फैक्स: ०2973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-2०1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 23०4०0, फैक्स: ०7469-23०6०० चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 2569०6, 256907, फैक्स: ०1562-2569०8



# प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रखी जा रही है नये भारत की नींव-भजनलाल

### मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है

बीकानेर, 22 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के संकल्प ने एक नए भारत की नींव रखी है।

शर्मा, जिले के पलाना में आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेसों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य से गौरवान्वित हो उठा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के लिए वाइफ़्ट विलेज कार्यक्रम-2 के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिससे सीमावर्ती गांवों के लोगों को मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने एवं आजीविका के पर्याप्त अवसर

■ **रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल में 34 हजार किलोमीटर लम्बी रेल पटरियाँ बनीं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से बड़ा है।**

प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते की सीमात के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का विशेष आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि देश में गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला- केवल चार जातियां हैं। इसी मंशा के अनुरूप, राज्य सरकार

### नाबालिग से दुष्कर्म करने...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह मजदूरी करने गया था। तभी करीब 11 बजे उसकी पत्नी ने उसे घर बुलाया और बताया कि पड़ौसी विजय ने उसकी नाबालिग बेटी की अश्लील वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिये हैं। परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने बताया कि एक महीने पहले जब घर पर कोई नहीं था तो विजय ने उसे अपने कमरे पर किसी काम के बहाने से बुलाया था। इस दौरान ही उसने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया। वह फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर और संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। इस पर उसने 19 जून को इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी पड़ौस में रहने वाले अन्य लड़के ने दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

### राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा व्यंग्य

नयी दिल्ली, 22 मई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'दिमाग टंडा' तथा 'खून गरम' वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मोदी को खोखले भाषण देना बंद कर यह बताया चाहिए कि देश के हितों से समझौता क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इधर-उधर की बातें नहीं करनी

■ **राहुल गाँधी ने कहा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। आपका खून कैमरों के सामने ही क्यों गरम होता है।**

चाहिए बल्कि यह बताएं कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठे खालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने बयानों से बार-बार भारत को जब अपमानित कर रहे हैं, तो करारा जवाब देने की बजाय, राष्ट्रीय सम्मान से समझौता क्यों किया जा रहा है।

चाहिए बल्कि यह बताएं कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठे खालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने बयानों से बार-बार भारत को जब अपमानित कर रहे हैं, तो करारा जवाब देने की बजाय, राष्ट्रीय सम्मान से समझौता क्यों किया जा रहा है।

चाहिए बल्कि यह बताएं कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठे खालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने बयानों से बार-बार भारत को जब अपमानित कर रहे हैं, तो करारा जवाब देने की बजाय, राष्ट्रीय सम्मान से समझौता क्यों किया जा रहा है।

ऑल इंडिया कोटा और राज्य स्तरीय काउंसिलिंग को समान कैलेंडर के तहत लाने का निर्देश ताकि, सीट ब्लाकिंग को रोक़ा जा सके। काउंसिलिंग के दूसरे राउंड के बाद छात्रों को बेहतर

■ **सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि काउन्सिलिंग से पहले सभी मैडिकल कॉलेजों को फीस बतानी होगी।**

करती है। इसमें पारदर्शिता की कमी, शासन में समन्वय की कमी और नीतियों के ढ़ाले पालन जैसी समस्याएं शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें - सभी यूनिवर्सिटियों को काउंसिलिंग से पहले फीस का खुलासा

## सात प्रतिनिधिमंडल...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

इसी दौरान, नई दिल्ली में राजनीतिक विश्लेषक अन्य राज्यों में बदलते समीकरणों को लेकर कयास लगा रहे हैं। बिहार, जहाँ वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, में तुरंत कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं दिखता, लेकिन स्थिति अब भी अस्थिर बनी हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और इंडिया ब्लाॅक दोनों के पक्ष और विपक्ष में नए राजनीतिक समीकरण उभर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय सत्ता संतुलन पर असर पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह वैश्विक कूटनीतिक पहल ऐसे समय में हो रही है, जब मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनावों से पहले अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को सुदृढ़ करने में जुटी है। आलोचकों का कहना है कि यह पहल, भले ही महत्वपूर्ण हो, घरेलू राजनीतिक हितों को भी साधने का प्रयास हो सकती है, खासकर वह भाजपा को एकमात्र ऐसी पार्टी के रूप में पेश कर सकती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर एकजुट राष्ट्रीय मोर्चा बिना सकती है।

भौतीरी विवादों और राजनीतिक उठापटक के बावजूद, यह वैश्विक मिशन रणनीतिक सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों दोनों के द्वारा बारीकी से देखा जा रहा है। यह मिशन पाकिस्तान की सीमा

# नीट पीजी सीट ब्लॉक करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नईदिल्ली, 21 मई। नीट पीजी में सीट ब्लाॅकिंग की बढ़ ती शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। अब देश की सभी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटियों को काउंसलिंग शुरू होने से पहले अपनी पूरी फीस संरचना (ट्यूशियन फीस, हाॅस्टल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अन्य शुल्क) सार्वजनिक करनी होगी।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि सीट ब्लाॅकिंग की यह प्रथा केवल एक अनैतिक कार्य ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर

करना अनिवार्य होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत, एक केन्द्रीकृत फीस रेगुलेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा।

सीट ब्लॉक करने वाले छात्रों और कॉलेजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी- जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट की जम्ती, भविष्य की नीट पीजी परीक्षाओं से अयोग्यता, और कॉलेज का ब्लैकलिस्ट होना।

ऑल इंडिया कोटा और राज्य स्तरीय काउंसलिंग को समान कैलेंडर के तहत लाने का निर्देश ताकि, सीट

ब्लाॅकिंग को रोक़ा जा सके। काउंसलिंग के दूसरे राउंड के बाद छात्रों को बेहतर

## एटा में भारी आंधी तूफान, 5 की मौत

एटा, 22 मई। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और वर्षा जलित हादसों में कम से कम पांच लोगों की मृत्यु हो गयी।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि एटा के जलेश्वर तहसील छेत्र में एक बायो डीजल को फैक्ट्री की टीनशेड गिरने से उसके नीचे दबकर फैक्ट्री मालिक विवेक प्रताप सिंह (37) एवं उसके कर्मचारी पुष्पेंद्र ऊर्फ पप्पू (43) की मौत हो गयी। एटा की अलीगंज तहसील क्षेत्र के जैथरा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में टीन शेड गिरने से उसके नीचे दबकर 19 वर्षीय सुरेन्द्र कुमार सिंह की मौत हो गयी।

जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी को छुट्टियों के बाद करेगा।

तमिलनाडु सरकार ने ईडी ओर से सरकारी शराब खुदरा विक्रेता तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के परिसरों में जांच के दौरान की गई छापेमारी की वैधता को चुनौती दी थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल, 2०25 को राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी और ईडी को कार्रवाई को हरी झंडी दे दी थी। उच्च न्यायालय ने ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी।

## पाकिस्तान ने एक भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने को कहा

इस्लामाबाद, 22 मई। भारत के दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिये जाने के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने गुरुवार को जवाबी कदम उठाते हुये, यहां स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित कर पाकिस्तान छोड़ने को कहा है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, संबंधित कर्मचारी को विशेषाधिकार से विपरीत गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश मंत्रालय में बुलाकर उसे सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया है। इस राजनयिक को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय उच्चायोग का कोई भी अधिकारी उसे प्राप्त विशेषाधिकार का किसी भी तरह दुरुपयोग नहीं कर सकता।

गौरतलब है कि बुधवार को भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित करते हुये, उसे 24 घंटे के अंदर देश छोड़ देने को कहा था।

## सतपाल मलिक के खिलाफ ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

इस प्रोजेक्ट से संबंधित थी।

एजेंसी द्वारागत वर्ष तलाशी अभियान चलाये जाने के बाद, मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था।

मलिक ने कहा था कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने (मलिक) शिकायत की थी तथा जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उनकी जांच-पड़ताल किये जाने के बजाय, सी बी पी पी एल की 47 वीं बोर्ड मीटिंग रेड डाली है। उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया था, “उन्हें (सी बी आई को) 4-5 कुर्तों-पाजामा के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान को बेठा हूं, मैं न तो डरूंगा और न झुकूंगा।” केन्द्रीय एजेंसी ने ‘चिनोब

वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सी बी पी पी पी एल) के तत्कालीन चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी, तथा अन्य अधिकारियों, जिनमें एम एस बाबू, एम के भित्तल तथा अरुण कुमार मिश्रा शामिल हैं, के अलावा निर्माण-फर्म पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को आरोपी बनाया है।

एफ आई आर में आरोप लगाया गया है, “उस समय चल रही टेन्डरिंग प्रक्रिया के रह हो जाने के बाद, सी बी पी पी पी एल की 47 वीं बोर्ड मीटिंग में ई-टेन्डरिंग और रिवर्स ऑक्शन के जरिये फिर से निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन (48 वीं बोर्ड मीटिंग में लिए एये निर्णय के अनुसार) उस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया था तथा अनंततागत्वा, टेन्डर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया था।”

# वक्फ एक्ट पर अंतरिम स्टे देने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित किया

### जैसा कि विदित ही है, तीन दिन सुप्रीम कोर्ट में घमासान

### बहस चली इस “स्टे” की माँग पर

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की कुछ विवादस्पद धाराओं के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, चुनौती उत प्रावधानों को लेकर दी गई है, जिनमें “उपयोग द्वारा वक्फ (वक्फ बाई यूजर) सम्पत्ति, केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने, और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के “विवादित” वक्फ संपत्तियों को छीनने जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं, जिन्हें भारतीय संविधान 25 और 26 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ

■ **कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजेफा अहमदी, चंदर उदय सिंह आदि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने इस बहस में भाग लिया है।**

■ **रिट दायर करने वाले की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदि ने दलील दी कि वक्फ एक्ट में संशोधन करने से मुसलमानों के साथ “डिस्क्रिमिनेशन” होगा।**

माना जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवंई और न्यायमूर्ति आंगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 2० मई से शुरू हुई तीन दिवसीय लंबी बहसों के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु

सिंघवी, हुजेफा अहमदी, चंदर उदय सिंह और अन्य ने बहस में हिस्सा लिया। उनका तर्क था कि संशोधित कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, उनके मूलभूत धार्मिक कार्यों और परम्पराओं को निशाना बनाता है, और विधिसम्मत प्रक्रिया के बिना ही, वक्फ संपत्तियों को मनमाने तरीकों से जब्त

## एक बार फिर विदेश...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

ऐसे माहौल में अगर भारत अमेरिका के दावे को सीधे खारिज करता है, तो डॉनल्ड ट्रंप का उग्र प्रशासन इसे हल्के में नहीं लेगा। जयशंकर बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि भारत-पाक संघर्ष केवल तब रुका, जब पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रभारी जनरल ने भारतीय समकक्ष को सीधे कॉल किया।

इस प्रकार, भारत को अमेरिकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह पाकिस्तान को फिर से सैन्य सहायता

और हथियार देना शुरू कर दे, भारत की स्वतंत्र नीति को सजा देने के लिए। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी नाराजगी किस हद तक ले जाता है। लेकिन यह लगभग तय है कि प्रतिक्रिया अवश्य आएगी। ऐसे में भारत को हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए।

हालाँकि, भारत जैसे विशाल और महत्वपूर्ण देश को अपनी मूल नीतियों और राष्ट्रीय हितों से पीछे नहीं हटना चाहिए-चाहे धमकी दुनिया के बससे शक्तिशाली देश से हो क्यों न मिले रहा हो।

## विवाह के तीन माह ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

पिता की तरह, आगामी जीवन में उसका संरक्षण करेगा।

विवाह के बाद प्रारंभिक वर्ष में दंपति इन सुखद सपनों के साथ भविष्य की नींव तैयार करते हैं, लेकिन इस मामले में अभियुक्त का कृत्य अपनी पत्नी के प्रति ऐसा रहा कि उसके पास विवाह के तीन माह बाद ही आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। ऐसे में अभियुक्त को कोठारमन दंड से दंडित करना उचित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि अभियुक्त विकास की 12 जून, 2०17 को किरण के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी हुई थी। शादी के

कुछ दिनों बाद से ही अभियुक्त ने मोटर साइकिल, सोने की चैन और दो लाख रुपए की मांग कर किरण के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं, किरण के भाई मुकेश कुमार ने भी अपने बयानों में अदालत को जानकारी दी कि किरण के आत्महत्या करने से करीब बीस दिन पहले उसकी उसके के साथ फोन पर बात हुई थी। इस दौरान किरण ने उसे बताया था कि उसका पति और ससुराल के अन्य लोग दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते हैं।

इसके चलते 22 सितंबर को किरण ने फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना को लेकर किरण के परिजनों ने 25 सितंबर को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।